

डिकी बमूकदमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
बइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस0)
वादीगण- राजस्व वाद संख्या- 84/2007

- 1 प्रेम सिंह
- 2 गोपाल सिंह पुत्रगण राजूसिंह, जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी आकोड़ा, तहसीलर जायल, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. करणी सिंह
2. गोविन्द सिंह पुत्रगण राजूसिंह,
3. हवा कंवर बेवा राजूसिंह
4. भैरूसिंह पुत्र तख्तसिंह
5. करणी सिंह पुत्र बच्चन सिंह
6. सवाई सिंह
7. जगदीश सिंह, पुत्रगण रामसिंह,
8. मांगूसिंह
9. शिवपाल सिंह
10. पप्पू सिंह पुत्रगण उमसिंह,
11. उच्छब कंवर बेवा उमसिंह
12. सरोज कंवर पत्नि फूलसिंह
13. मदन सिंह पुत्र जसवन्त सिंह
14. किशन सिंह
15. मोती सिंह पुत्रगण कानसिंह,
16. बीजे सिंह
17. शेतान सिंह
18. धुलसिंह
19. सुगन सिंह
20. जगदीश सिंह
21. बजरंग सिंह पुत्रगण अर्जुन सिंह,
22. सुगन सिंह पुत्र भैरूसिंह,
23. भैरूसिंह
24. मुणसिंह
25. मगेज सिंह पुत्रगण धूंकल सिंह,
26. लादूसिंह पुत्र पीरदान सिंह
27. सलाद कंवर बेवा पीरदान सिंह
28. हनुमान सिंह पुत्र हरिसिंह, सभी जाति राजपूत निवासीगण आकोड़ा, तहसील जायल
29. सरकार जरिये तहसीलदार जायल
30. महावीर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत, निवासी आकोड़ा, तहसील जायल

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व विभाजन अधीन धारा 88 व 53
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता-

1. वादीगण की ओर से जीयाराम गोदारा, एडवोकेट
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 के ईकतरफा कार्यवाही है।
3. प्रतिवादी संख्या 30 की ओर से श्री शिव कुमार पाराशर एडवोकेट


श्री शिव कुमार पाराशर
(एडवोकेट) जायल

- डिक्री आदेश -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री जियाराम गोदारा व प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर की उपस्थिति मे हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि :-


1. कि मौजा आकोडा के खेत खंसरा नं 296 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा में से 9 बीघा पश्चिमी हिस्सा खं.नं. 236 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 1 बीघा 18 बिस्वा खेत का पूर्वी हिस्सा गोविन्दसिंह व गोपालसिंह के बीच का हिस्सा वादी नं. 1 प्रेमसिंह के कब्जा कास्त बंट एवं खातेदारी का घोषित किया जाता है।
2. कि मौजा आकोडा के खेत खंसरा नं. 116 रकबा 31 बीघा, 12 बिस्वा में से 7 बीघा 18 बिस्वा पश्चिमी - दक्षिणी हिस्सा, खं.न. 236 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 3 बीघा पूर्वी हिस्सा प्रेमसिंह व करणसिंह के हिस्सों से बीच का हिस्सा वादी नं 2 गोपालसिंह के कब्जा कास्त बंट एवं खातेदारी घोषित किया जाता है।
3. कि मौजा आकोडा के खेत खंसरा नं. 116 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा में से 7 बीघा 18 बिस्वा पूर्वी दक्षिणी - हिस्सा एवं खंसरा नं. 236 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 19 बिस्वा पूर्वी दक्षिणी - कोने में प्रतिवादी नं. 1 करणीसिंह के कब्जा बंट एवं खातेदारी घोषित किया जाता है।
4. कि मौजा आकोडा के खेत खंसरा नंबर 428/293 रकबा 10 बीघा में से 9 बीघा पूर्वी हिस्सा एवं खंसरा नंबर 236 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा में से 1 बीघा 18 बिस्वा उत्तरी - पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 गोविन्द सिंह के कब्जा कास्त बंट एवं खातेदारी घोषित किया जाता है।
5. शेष खेताय बदस्तुर प्रतिवादी सं. 4 ता 28 के खातेदारी में शेष खेताय यथावत रखे जाते है।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26/12/22 को जारी किया गया।


 (ओमप्रकाश वर्मा)
 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),
 जायल जिला नागौर
 जायल

	रूपये	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह साबूत			मेहनताना वकील		
नताना वकील			खर्चा गवाहन		
गवाहन			फीस कमीशनर		
कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
इजराय हुक्मीजान			मुतफरिफ		
मुतफरिफ					

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।


 (ओमप्रकाश वर्मा)
 सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),
 जायल जिला नागौर
 जायल